



राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का अध्यापक शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन

Abhay Kumar Pandey

Email ID: pandeyabhay749@gmail.com

Course: M.Ed (University of Allahabad)

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूपान्तरण का दिग्दर्शन प्रस्तुत करती है। इसके केन्द्र में समावेशी, बहुविषयी, शोधोन्मुख, भारतीय ज्ञानपरम्परा से समन्वित और प्रासंगिक शिक्षा की रूपरेखा निहित है। अध्यापक शिक्षा इस रूपान्तरण की धुरी है, क्योंकि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता अध्यापकों की तैयारी, व्यावसायिक नैतिकता, शैक्षणिक दक्षताओं तथा सतत विकासशील मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के अध्यापक शिक्षा पर बहुआयामी प्रभाव का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन दस्तावेज़ीय एवं वैचारिक स्वरूप का है, जिसमें नीति के आधिकारिक संस्करण, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाएँ, शिक्षक शिक्षा की पूर्ववर्ती रूपरेखाएँ, सम्बद्ध वैधानिक अधिनियम तथा अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रामाणिक दस्तावेज़ों का विषयवस्तु-विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से निष्कर्षित होता है कि नीति द्वारा प्रस्तावित चार-वर्षीय समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, बहुविषयी विश्वविद्यालयों में शिक्षक-प्रशिक्षण का एकीकरण, विद्यालय-संलग्न अभ्यासकाल का विस्तार, योग्यता-आधारित आकलन, मातृभाषा-आधारित अध्यापन, भारतीय ज्ञान-परम्परा का समावेश तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का संवर्धित उपयोग अध्यापक शिक्षा को संरचनागत और शैक्षणिक दोनों स्तरों पर पुनर्परिभाषित करते हैं। साथ ही, नीति-क्रियान्वयन में संस्थागत क्षमता, संकाय-विकास, मान्यता-प्रणाली, बहुभाषिक संसाधनों की उपलब्धता, समता-संबद्ध चुनौतियाँ तथा संघीय विविधताओं के कारण नीतिगत आकांक्षाओं और वास्तविकताओं के बीच सेतु बनाने की आवश्यकता रेखांकित होती है। अध्ययन के नीतिगत निहितार्थों में समन्वित शासन-व्यवस्था, चरणबद्ध प्रवर्तन, क्षेत्रीय अनुकूलन, साक्ष्य-आधारित निगरानी तथा शिक्षण-अभ्यास पर केन्द्रित मूल्यांकन-विधि पर विशेष बल सुझाया गया है। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० अध्यापक शिक्षा के दर्शन, संरचना, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन, अनुसंधान और व्यावसायिक विकास के संपूर्ण परिदृश्य को व्यापक एवं गहन रूप से प्रभावित करती है। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २००९; एनसीईआरटी, २००५; एनसीईआरटी, २०२३)

मुख्य शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति; अध्यापक शिक्षा; समेकित चार-वर्षीय कार्यक्रम; बहुविषयी विश्वविद्यालय; विद्यालय-संलग्न अभ्यास; मातृभाषा-आधारित अध्यापन; योग्यता-आधारित मूल्यांकन; भारतीय ज्ञान-परम्परा; शैक्षिक प्रौद्योगिकी; प्रत्यायन और मान्यता; समता तथा समावेशन।

भूमिका

भारतीय शिक्षा परिदृश्य ऐतिहासिक, दार्शनिक और सामाजिक विविधताओं से समृद्ध रहा है। स्वतंत्रता-उत्तर काल में शिक्षा-नीतियों ने समता, गुणवत्ता और सार्वभौमिक पहुँच के आदर्शों के बीच संतुलन साधने का निरन्तर प्रयास किया। तथापि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, मानकों की असमानता, विद्यालयी सन्दर्भ से विच्छिन्न प्रशिक्षण, सीमित अनुसंधान-परम्परा, अल्पकालिक अभ्यास और नियामकीय विचरण जैसे प्रश्नों के कारण अपेक्षित रूपान्तरण की आवश्यकता अनुभूत होती रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० इस आवश्यकता का उत्तर देने का प्रयास है। नीति बहुविषयी विश्वविद्यालयी परिवेश में अध्यापक-तैयारी को प्रतिष्ठित करने, चार-वर्षीय समेकित कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाने, मातृभाषा-आधारित अध्यापन, समावेशी शिक्षा के मूल्य तथा भारतीय ज्ञान-परम्परा के ढाँचागत समावेश की वकालत करती है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक प्रौद्योगिकी, योग्यता-आधारित शिक्षा, परावर्तनीय अभ्यास तथा जीवनपर्यन्त सीख पर बल देकर अध्यापक की भूमिका को केवल विषय-प्रदाता से सीख के डिज़ाइनर, समुदाय-संवादी, नवाचारोन्मुख और अनुसंधानशील व्यक्तित्व में रूपान्तरित करती है।

अध्यापक शिक्षा पर नीति का प्रभाव केवल पाठ्यचर्या तक सीमित नहीं है। यह नियामक व्यवस्थाओं, प्रत्यायन-मानकों, संस्थागत शासन, वित्तीय आवंटन, संकाय-विकास, विद्यालय-विश्वविद्यालय साझेदारी, भाषा-नीति और स्थानीय-वैश्विक ज्ञान-संतुलन जैसे आयामों में भी परिलक्षित होता है। नीति यह मानती है कि उच्च गुणवत्ता वाले अध्यापक बिना उच्च गुणवत्ता वाले अध्यापक-उत्पादक संस्थानों के सम्भव नहीं; इसलिए शिक्षक शिक्षा संस्थानों को स्वायत्त, उत्तरदायी, शोध-सक्षम और बहुविषयी बनाना अपरिहार्य है। यह विमर्श वैश्विक प्रतिबद्धताओं से भी संवाद करता है, विशेषतः शिक्षा २०३० रूपरेखा और सतत विकास लक्ष्य, जिनमें समावेशी व न्यायसंगत गुणवत्ता-शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त सीख को लक्षित किया गया है। इस संदर्भ में अध्यापक शिक्षा वेधशाला का काम करती है, क्योंकि विद्यालयी स्तर पर किसी भी परिवर्तन का स्थायी प्रभाव अध्यापकों की तैयारी और उनकी व्यावसायिक पहचान में निहित होता है। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; यूनेस्को, २०१५)

सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

अध्यापक शिक्षा के विमर्श में निर्माणवादी सीख, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण, समालोचनात्मक शिक्षाशास्त्र, अनुभवात्मकता और परावर्तनीय अभ्यास जैसे सिद्धान्तों की महत्ता स्वीकार की जाती रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा २००५ ने सीखने को बालक-केंद्रित, अनुभवाधारित और संवादात्मक बनाया, जिससे अध्यापक की भूमिका निर्देश देने वाले के बजाय सीख की सहयात्रा करने वाले, प्रश्न उभारने वाले और ज्ञान-निर्माण के सह-उत्पादक के रूप में उभरी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा रूपरेखा २००९ ने इन सिद्धान्तों को शिक्षक-प्रशिक्षण में प्रत्यारोपित करते हुए विद्यालय-संलग्न अभ्यास, परावर्तनीय जर्नल, कार्य-आधारित परियोजना और सामुदायिक सहभागिता की संस्तुति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० इन सैद्धान्तिक आधारों को अद्यतन संदर्भ देता है, जिसमें बहुभाषिकता, भारतीय ज्ञान-परम्परा, स्थानीय-वैश्विक सन्तुलन तथा डिजिटल साक्षरता को शैक्षणिक आचरण में समाहित किया गया है। (एनसीईआरटी, २००५; राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २००९; शिक्षा मंत्रालय, २०२०)

पूर्ववर्ती साहित्य की समीक्षा

पूर्ववर्ती शोध और नीतिपत्रों में यह प्रश्न बारम्बार उठा कि अध्यापक शिक्षा में मानकों की विविधता, अभ्यासकाल की अल्पता, विद्यालयी वास्तविकताओं से दूरी और अनुसंधान-समर्थता की कमी के कारण प्रशिक्षण का प्रभाव कक्षा-कक्ष में पर्याप्त रूप से प्रतिफलित नहीं हो पाता। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा २००९ ने द्विवर्षीय शिक्षा-स्नातक कार्यक्रम को अवधारित किया, जिसमें विद्यालय-आधारित अभ्यास तथा परावर्तनीय लेखन पर विशेष जोर था। तथापि विभिन्न राज्यों और संस्थानों में इसका एकरूप क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण रहा। अनेक अध्ययनों ने इंगित किया कि संस्थागत क्षमताओं, संकाय की तैयारी, विद्यालय-साझेदारी और मूलभूत संसाधनों में असमानता के कारण अपेक्षित परिणति व्यापक रूप से सुनिश्चित नहीं हो सकी।

दूसरी ओर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा २००५ और बाद के वर्षों में बालकेन्द्रितता, मूल्य-आधारित शिक्षा, समावेशिता और शाला-समुदाय सम्पर्क पर विस्तृत साहित्य विकसित हुआ। इस विमर्श में अध्यापक के पेशे को केवल रोजगार नहीं, बल्कि नैतिक-समाजोपयोगी आह्वान के रूप में समझने की मान्यता सुदृढ़ हुई। साथ ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रवेश ने अध्यापन के अभिनव रूपों मिश्रित सीख, ओपन संसाधन, मुक्त पाठ्यक्रम को सम्भावना प्रदान की, परन्तु इनका समुचित एकीकरण अध्यापक शिक्षा के ढाँचों में सीमित रहा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० पर आरम्भिक समीक्षाएँ इंगित करती हैं कि नीति संरचनात्मक संक्रमण के माध्यम से अध्यापक शिक्षा को विश्वविद्यालयी बहुविषयकता, शोध और नवाचार से जोड़ती है। नीति का आग्रह है कि अध्यापक-प्रशिक्षण केवल पदोन्नति-परीक्षा उन्मुख न रहकर, साक्ष्य-आधारित निर्णय, समालोचनात्मक चिन्तन, नैतिक विवेक और स्थानीय-

प्रासंगिक नवाचार का संवाहक बने। विद्यालय-आधारित दीर्घकालीन अभ्यासकाल तथा सतत व्यावसायिक विकास की अन्तःस्थापना इसी दृष्टि का विस्तार है। (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २००९; एनसीईआरटी, २००५; शिक्षा मंत्रालय, २०२०)

अनुसंधान समस्या का प्रतिपादन

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों का अध्यापक शिक्षा पर दार्शनिक, संरचनात्मक, शैक्षणिक, मूल्यांकनात्मक और संस्थागत स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा इन प्रभावों को क्रियान्वयन के विविध संदर्भों में किस प्रकार समझा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर नीति-प्रत्यक्ष प्रावधानों, पूर्ववर्ती रूपरेखाओं, वैधानिक दस्तावेजों और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से तलाशा गया है। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; यूनेस्को, २०१५)

अध्ययन के उद्देश्य

प्रथम, अध्यापक शिक्षा के दर्शन एवं उद्देश्यों के संदर्भ में नीति के प्रभाव का विवेचन करना। द्वितीय, शिक्षक-प्रशिक्षण के संरचनात्मक आयामों कार्यक्रम-अवधि, संस्थागत स्थान, बहुविषयक समेकन पर प्रभाव का परीक्षण करना। तृतीय, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण-विधि में बहुभाषिकता, भारतीय ज्ञान-परम्परा, समावेशिता और डिजिटल साक्षरता के एकीकरण की समीक्षा करना। चतुर्थ, मूल्यांकन और प्रत्यायन-मानकों पर प्रभाव की समीक्षा करना। पंचम, क्रियान्वयन-चुनौतियों और सम्भावित समाधान-रणनीतियों की पहचान करना। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २००९)

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन दस्तावेजीय तथा वैचारिक स्वरूप का है। प्राथमिक स्रोत के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का आधिकारिक हिन्दी संस्करण लिया गया। सहायक स्रोतों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा २००५, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा २०२३, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा रूपरेखा २००९, शिक्षक शिक्षा मानदण्ड एवं प्रक्रिया विनियम २०१४, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित सीख परिणाम आधारित पाठ्यचर्या रूपरेखा २०१९ तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम २००९ सम्मिलित किए गए। अन्तरराष्ट्रीय प्रामाणिक संदर्भ के रूप में शिक्षा २०३० कार्यान्वयन ढाँचे का उपयोग किया गया।

विषयवस्तु-विश्लेषण की प्रक्रिया में नीति-पत्रों से अध्यापक शिक्षा संबंधित धाराओं, उपधाराओं और व्याख्यात्मक टिप्पणियों की सूक्ष्म पहचान कर थीमेटिक कोडिंग की गई। प्रमुख थीम दर्शन, संरचना, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन, शासन-

प्रणाली, भाषा-नीति, प्रौद्योगिकी, समावेशन के अन्तर्गत समरूप और भिन्न बिन्दुओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। वैधता सुनिश्चित करने हेतु स्रोत-त्रिकोणीकरण अपनाया गया, जहाँ विभिन्न वैधानिक और नीतिगत दस्तावेजों में मेल-जोल और अंतर पर आलोचनात्मक विचार किया गया। यद्यपि यह अध्ययन प्रायोगिक आँकड़ों पर आधारित नहीं है, फिर भी नीतिगत प्रभावों के विश्लेषण में उपलब्ध प्रलेखित साक्ष्यों का व्यवस्थित उपयोग किया गया है। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; एनसीईआरटी, २००५; राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २००९; एनसीईआरटी, २०२३; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, २०१९; भारत सरकार, २००९; यूनेस्को, २०१५)

नीति-दर्शन और अध्यापक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का केन्द्रीय दर्शन समावेशी, समानतामूलक, गुणवत्तापूर्ण और बहुविषयी शिक्षा का है। नीति शिक्षा को केवल रोजगार-प्राप्ति का साधन न मानकर समग्र मानव-उत्कर्ष, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन का माध्यम मानती है। अध्यापक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह दर्शन चार प्रमुख स्तरों पर प्रभावकारी है।

पहला, अध्यापक की भूमिका का पुनर्परिभाषण। नीति अध्यापक को ज्ञान-प्रदाता से सीख के नियोजक, शोध-संवेदी, नवाचारकर्ता, परावर्तनीय और नैतिक नेतृत्व से सम्पन्न व्यावसायिक व्यक्तित्व के रूप में देखती है। इसका अर्थ यह है कि अध्यापक शिक्षा में विषय-वस्तु के साथ शिक्षण-विज्ञान, मनोविज्ञान, नैतिकता, सामुदायिक संवाद और अनुसंधान-पद्धति का संतुलित समावेश अनिवार्य हो।

दूसरा, समग्रता और बहुविषयकता। नीति महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विषय-परक दीवारों को लचीला बनाने का प्रस्ताव करती है। शिक्षक-प्रशिक्षण को ऐसे बहुविषयी परिसरों में स्थापित करने का उद्देश्य इस मान्यता से जुड़ा है कि उत्कृष्ट अध्यापन बहुविषयी समझ, अन्तरविषयी पुलों और सामाजिक-सांस्कृतिक साक्षरता के बिना सम्भव नहीं। अतः अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में साहित्य, विज्ञान, कला, दर्शन, समाजशास्त्र, गणितीय चिन्तन तथा स्थानीय ज्ञान-प्रणालियों का समुचित समावेश अपेक्षित है।

तीसरा, भारतीयता और वैश्विकता का संतुलन। नीति भारतीय ज्ञान-परम्परा, भाषा-विविधता, स्थानीय इतिहास-भूगोल और नैतिक-दर्शन को शिक्षा के केन्द्र में रखने की वकालत करती है, साथ ही वैश्विक श्रेष्ठतमताओं, अनुसंधान-मानकों और मानवीय मूल्यों से संवाद बनाये रखने का आग्रह भी करती है। अध्यापक शिक्षा को यह संतुलन इस प्रकार साधना है कि न तो सांस्कृतिक संकुचन हो और न ही जड़ अनुकृति; बल्कि समालोचनात्मक और रचनात्मक आत्मसात द्वारा स्थानीय-वैश्विक संगम निर्मित हो।

चौथा, समावेशन और न्याय। नीति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का प्रत्येक घटक समता के सिद्धान्त से संचालित हो। अध्यापक शिक्षा में यह सिद्धान्त चयन, प्रशिक्षण-पाठ्यचर्या, अभ्यास-विद्यालयों की स्थिति, भाषा-संसाधन, डिजिटल पहुँच, समावेशी शिक्षाशास्त्र तथा मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में साकार होना चाहिए। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०)

संरचनात्मक परिवर्तन: अवधि, संस्थान और समेकन

नीति का सबसे प्रमुख प्रभाव चार-वर्षीय समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना है, जिसे दीर्घकाल में सामान्य मानक के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव है। इस एकीकृत कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि विषय-वस्तु में गहराई और शिक्षण-कौशल में प्रवीणता एक साथ विकसित हों। परंपरागत द्विवर्षीय प्रशिक्षण के सापेक्ष चार-वर्षीय समेकित कार्यक्रम में विद्यालय-संलग्न अभ्यास, परियोजना-आधारित कार्य, अनुसंधान-सेतु तथा परावर्तनीय लेखन को पर्याप्त विस्तार दिया जा सकता है।

नीति शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहुविषयी विश्वविद्यालयों में समाहित करने का आग्रह करती है। इसका तात्पर्य यह है कि पृथक और छोटे संस्थान, जो अक्सर संसाधन-अभाव, सीमित संकाय और शोध-अनुकूल वातावरण की कमी से जूझते हैं, उन्हें बड़े विश्वविद्यालयी ढाँचों में एकीकृत कर शोध-सुविधाओं, ग्रन्थालयों, प्रयोगशालाओं, विद्यालय-नेटवर्क और अन्तरविषयी सीख से जोड़ना होगा। यह समेकन अध्यापक शिक्षा को उच्च शिक्षा के मुख्य प्रवाह में प्रतिष्ठित करता है और शोध-आधारित अध्यापन की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।

इस परिवर्तन का प्रशासनिक और नियामकीय पक्ष भी महत्वपूर्ण है। मान्यता, प्रत्यायन, शिक्षक-छात्र अनुपात, अभ्यास-विद्यालयों के मानक, संकाय-भर्ती और पदोन्नति-नीतियों को नए संरचनात्मक मानकों के अनुरूप पुनर्परिभाषित करना होगा। नीति संकेत करती है कि पारदर्शी, सख्त परन्तु सहायक नियमन ही गुणवत्ता-सुधार का आधार बनेगा। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २००९; राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २०१४)

पाठ्यचर्या और शिक्षण-विधि में रूपान्तरण

अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या में नीति बहुभाषिकता, मातृभाषा-आधारित अध्यापन, भारतीय ज्ञान-परम्परा, समावेशी शिक्षाशास्त्र, अनुभवात्मकता, परियोजना-आधारित सीख और डिजिटल साक्षरता जैसी धाराओं को केन्द्रीय अवयव मानती है। बहुभाषिकता के सन्दर्भ में नीति का आग्रह है कि अध्यापक भाषिक विविधता को संसाधन के रूप में देखें और बहुभाषिक कक्षाओं में अर्थ-निर्माण की रणनीतियाँ विकसित करें। मातृभाषा/स्थानीय भाषा में आरम्भिक कक्षाओं के अध्यापन का प्रस्ताव अध्यापक शिक्षा के लिए यह अनिवार्य करता है कि प्रशिक्षण में भाषिक-अधिगम, अनुवाद-शास्त्र, भाषा-अंतरक्रिया और बहुभाषिक सामग्री-निर्माण के व्यावहारिक पक्ष सम्मिलित किए जाएँ।

भारतीय ज्ञान-परम्परा का समावेश केवल प्रतीकात्मक न होकर शैक्षणिक होना चाहिए। नैतिक दर्शन, पर्यावरण-जागरूकता, लोक-कला, कृषि-लोकाचार, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य-विचार, गणितीय परम्पराएँ और स्थानीय इतिहास को इस प्रकार पढ़ाया जाए कि अध्यापक छात्र-समुदाय के अनुभवों से जुड़ते हुए समालोचनात्मक एवं रचनात्मक दृष्टि विकसित कर सकें।

समावेशी शिक्षाशास्त्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, सामाजिक-पारिस्थितिक वंचनाओं, लैंगिक समानता और विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों की समझ अध्यापक शिक्षा की धुरी बननी चाहिए। इसका अर्थ है कि केस-अध्ययन, विद्यालय-आधारित अवलोकन, परिवार-समुदाय साक्षात्कार, अनुकूलनशील मूल्यांकन और सहायक तकनीकों का अभ्यास प्रशिक्षण का हिस्सा बने।

डिजिटल साक्षरता और शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी नीति में महत्वपूर्ण है। अध्यापक शिक्षा में मुक्त शैक्षिक संसाधनों का समुचित उपयोग, मिश्रित सीख की डिजाइन, डेटा-आधारित निदान, शैक्षिक एनीमेशन, सिमुलेशन तथा नैतिक डिजिटल आचरण की समझ विकसित की जानी चाहिए। साथ ही सावधानी अपेक्षित है कि तकनीक साध्य नहीं, साधन है; अतः तकनीक का प्रयोग शैक्षिक लक्ष्यों, समता और उपलब्धता के मानकों से संचालित हो। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; एनसीईआरटी, २०२३)

विद्यालय-संग्रह अभ्यास और परावर्तनीयता

नीति विद्यालयी वास्तविकताओं से शिक्षक-प्रशिक्षण का सघन सम्बन्ध प्रस्तावित करती है। दीर्घकालीन अभ्यासकाल, सूक्ष्म-शिक्षण, सह-अवलोकन, परामर्श, परावर्तनीय जर्नल, पाठ-अध्ययन, क्रियात्मक शोध और समुदाय-उन्मुख परियोजनाएँ अध्यापक शिक्षा की अनिवार्य अंग बनें ऐसा नीति का स्पष्ट अभिप्राय है। यह परिवर्तन इसलिए आवश्यक है कि अक्सर प्रशिक्षण कक्षाओं में शैक्षणिक विचार संकल्पनात्मक रह जाते हैं और कक्षा-कक्षीय जटिलताओं में उनकी प्रत्यावर्तन क्षमता अपर्याप्त रहती है। विद्यालय-संग्रह अभ्यास अध्यापन की 'जीवित प्रयोगशाला' है, जहाँ अध्यापक-प्रशिक्षु अपनी धारणाओं का परीक्षण, पुनर्रचना और सुदृढीकरण कर सकते हैं।

परावर्तनीयता की संस्कृति विकसित करने के लिए जर्नल-लेखन, सहकर्म-प्रतिपुष्टि, वीडियो-आधारित आत्म-अवलोकन और मार्गदर्शक-अध्यक्षों के साथ सतत संवाद की प्रणाली आवश्यक है। यह व्यवस्था तभी कारगर होगी जब अभ्यास-विद्यालयों का चयन सोच-समझकर किया जाए, सहयोगी अध्यापक प्रशिक्षु का 'मार्गदर्शक' बने, और विश्वविद्यालय के संकाय व विद्यालय के शिक्षक साझे उद्देश्यों पर काम करें। (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २००९; शिक्षा मंत्रालय, २०२०)

मूल्यांकन और प्रत्यायन में परिवर्तन

नीति योग्यता-आधारित शिक्षा का घोष करती है, जिसके अनुरूप अध्यापक शिक्षा के मूल्यांकन में भी ज्ञान-स्मृति के बजाय प्रदर्शन, अनुप्रयोग, समालोचनात्मकता, सृजनात्मकता और नैतिक निर्णय पर बल देना होगा। मूल्यांकन में विविध विधियाँ पाठ योजना और उसका क्रियान्वयन, कक्षा-अवलोकन, शिक्षार्थी-प्रगति का विश्लेषण, परियोजना-निर्माण, पोर्टफोलियो, मौखिक प्रस्तुति तथा शोध-निबन्ध शामिल होनी चाहिए।

प्रत्यायन और मान्यता-प्रणाली में नीति पारदर्शिता, परिणाम-आधारिता और सतत सुधार पर बल देती है। संस्थागत स्व-मूल्यांकन, बाह्य सहकर्मी समीक्षा, छात्र एवं विद्यालय-प्रतिक्रिया, समुदाय-धारणा, अनुसंधान-उत्पादन और स्नातक-रोजगार/सेवा-नियुक्ति संकेतकों का समुचित समावेश आवश्यक है। यह परिवर्तन 'न्यूनतम अनुपालन' से 'उत्कृष्टता के अभिगमन' की ओर संकेत करता है। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २०१४)

भाषा-नीति, बहुभाषिकता और अध्यापक शिक्षा

भारत की भाषिक विविधता अध्यापक शिक्षा के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। नीति मातृभाषा/स्थानीय भाषा में आरम्भिक शिक्षण का समर्थन करती है। अध्यापक-तैयारी में भाषा-अधिगम के सिद्धान्त, द्विभाषिक/बहुभाषिक कक्षा-रणनीतियाँ, अनुवाद-अभ्यास, शब्दावली-विकास, ध्वन्यात्मक सजगता और बोधगम्यता की क्रमिक सीढ़ियाँ सम्मिलित करनी होंगी। बहुभाषिक कक्षाओं में 'स्रोत-भाषा' और 'लक्ष्य-भाषा' के सांप्रेषण की योजनाबद्धता, दृश्य-सहायक सामग्री, सहपाठी-सहायता और माता-पिता की सहभागिता अध्यापक द्वारा सक्षम की जानी चाहिए।

इस दिशा में पाठ्य सामग्री के स्थानीयकरण, शब्दकोशों और द्विभाषिक संसाधनों के विकास, स्थानीय लेखकों/कलाकारों के साथ सहयोग तथा मूल्यांकन में भाषा-सम्बेदनशीलता अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा असमान संसाधन-प्राप्ति के कारण भाषिक वंचनाएँ बढ़ सकती हैं। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; एनसीईआरटी, २०२३)

भारतीय ज्ञान-परम्परा का समावेश

नीति भारतीय ज्ञान-परम्पराओं दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा-विज्ञान, गणित, ज्योतिष-खगोल, चिकित्सा, कला, स्थापत्य, लोक-ज्ञान को रचनात्मक रूप में अध्यापन-अधिगम में एकीकृत करने का आह्वान करती है। अध्यापक शिक्षा में इसकी अभिव्यक्ति दो स्तरों पर हो सकती है। प्रथम, अध्यापक प्रशिक्षण में ऐसी बौद्धिक सामग्री और पद्धतियाँ जो भारतीय विचार-सरणियों की समझ दें, ताकि अध्यापक शिष्य के अनुभव-विश्व से जुड़ते हुए समकालीन समस्याओं पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ला सकें। द्वितीय, विद्यालयी पाठ्यक्रम के साथ संलग्न परियोजनाओं में स्थानीय ज्ञान, शिल्प, कृषि, जल-प्रबन्धन, जातीय संगीत-नृत्य, लोक-कथाएँ और पद्धतिगत तर्क को सृजनात्मक असाइनमेंट्स के रूप में संयोजित किया जाए।

यह समावेश तभी सार्थक होगा जब भारतीयता का अर्थ वैविध्य और समालोचनात्मकता के साथ समझा जाए; मिथ्याकरण या रूढ़ कल्पनाओं से बचते हुए ऐतिहासिक स्रोत-समालोचना और वैज्ञानिक दृष्टि को समान रूप से महत्व मिले। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०)

शैक्षिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल साक्षरता

नीति शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देती है। अध्यापक शिक्षा में मुक्त शैक्षिक संसाधनों का रचनात्मक उपयोग, मिश्रित सीख का ढाँचा, डिजिटल नैतिकता, डेटा-गोपनीयता, पहुँच-अनुकूल सामग्री-निर्माण, विकलांगता-समर्थक तकनीकों और विश्लेषण-आधारित निदान कौशल को समाहित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि तकनीक पारिस्थितिकी को समतामूलक रखने के लिए ऑफ़लाइन विकल्प, निम्न-तकनीक रणनीतियाँ और सामुदायिक संसाधनों का समायोजन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

डिजिटल साधनों के माध्यम से परावर्तन, सहकर्मी-सिखना, संसाधन-साझेदारी और विद्यालय-विश्वविद्यालय संयुक्त समुदायों का निर्माण किया जा सकता है। परन्तु तकनीक की 'चमक' के कारण शिक्षाशास्त्रीय गहराई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसके प्रति अध्यापक-प्रशिक्षकों को सजग रहना होगा। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०)

नियामक ढाँचा, शासन और संस्थागत क्षमता

अध्यापक शिक्षा के लिए मान्यता-मानक, संकाय-योग्यता, अधोसंरचना, विद्यालय-साझेदारी और अनुसंधान-प्रोत्साहन के मानदण्ड स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षक शिक्षा मानदण्ड एवं प्रक्रिया विनियम २०१४ ने न्यूनतम आवश्यकताओं को परिभाषित किया था; अब नीति के आलोक में इन मानकों को परिणाम-आधारित, नवाचारोन्मुख और समावेशी बनाना होगा। विश्वविद्यालयी समेकन के साथ शासन-प्रणाली शैक्षिक परिषदें, पाठ्यचर्या समितियाँ, क्षेत्र-विद्यालय नेटवर्क, अनुसंधान-निधि को भी सुदृढ़ करना होगा।

अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए सतत व्यावसायिक विकास का ढाँचा आवश्यक है, जिसमें संकाय के लिये वार्षिक विकास-योजना, कालान्तर में अभिसरण-कार्यशालाएँ, शोध-अध्ययन अवकाश, अन्तर-विश्वविद्यालयीय विनियम कार्यक्रम तथा विद्यालय-संलग्न संयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहन मिले। प्रत्यायन केवल अंक-तालिका नहीं, बल्कि समग्र संस्थागत सीख का माध्यम बने यह नीतिगत आग्रह होना चाहिए। (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २०१४; शिक्षा मंत्रालय, २०२०)

समावेशन, समता और न्याय के प्रश्न

नीति समावेशन के सिद्धान्त पर दृढ़ है। अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में प्रवेश-प्रक्रिया, छात्रवृत्ति, छात्र-समर्थन सेवाएँ, भाषा-संसाधन, डिजिटल पहुँच, अभिगम्यता और लैंगिक-संवेदनशील परिसर का निर्माण अनिवार्य है। विशेष आवश्यकता वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए सहायक तकनीक, शारीरिक-सुगमता, अनुकूलित मूल्यांकन और परामर्श-सेवाएँ सुनिश्चित करनी होंगी।

ग्रामीण-जनजातीय क्षेत्रों के प्रशिक्षणार्थियों को स्थानीय-भाषिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराना नीति के समता-लक्ष्यों की पूर्ति करेगा। अन्यथा बहुविषयी विश्वविद्यालयों में समेकन, यदि बड़े शहरों में केन्द्रित रहा, तो क्षेत्रीय असंतुलन और बढ़ सकता है। अतः विकेन्द्रित परिसरों, उपकेन्द्रों और विद्यालय-आधारित उपग्रह संस्थानों की योजना आवश्यक है। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; भारत सरकार, २००९)

नीति-प्रभाव का समेकित आकलन

अध्यापक शिक्षा पर नीति के प्रभाव का समेकित आकलन तीन आयामों में किया जा सकता है।

दार्शनिक प्रभाव यह है कि अध्यापन को कौशल-समूह से आगे बढ़ाकर नैतिक-समाजोपयोगी बौद्धिक प्रयास के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है। इससे अध्यापक-तैयारी में आत्म-परावर्तन, सामाजिक उत्तरदायित्व और समालोचनात्मकता के स्थायी आयाम जुड़ते हैं।

संरचनात्मक प्रभाव यह है कि चार-वर्षीय समेकित कार्यक्रम, विश्वविद्यालयी समेकन और विद्यालय-संलग्न अभ्यास अध्यापक-तैयारी को अधिक सुदृढ़, दीर्घकालिक और शोधोन्मुख बनाते हैं। इससे प्रशिक्षण की समय-संगति और विद्यालय-आवश्यकताओं से संव्यवहार बढ़ता है।

शैक्षणिक प्रभाव यह है कि बहुभाषिकता, भारतीय ज्ञान-परम्परा, समावेशी शिक्षाशास्त्र, परियोजना-आधारित सीख और प्रौद्योगिकी का विवेकपूर्ण उपयोग प्रशिक्षण की अन्तर्वस्तु को समृद्ध करता है। परिणामतः अध्यापकों में सीख की रूपरेखा-निर्माण, संदर्भ-संवेदी नवाचार और साक्ष्य-आधारित निर्णय की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; एनसीईआरटी, २०२३; राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २००९)

क्रियान्वयन-चुनौतियाँ

क्रियान्वयन वह क्षेत्र है जहाँ नीतिगत आकांक्षाएँ वास्तविकताओं से टकराती हैं। सबसे पहली चुनौती संस्थागत क्षमता की है। बहुविषयी समेकन के लिए विश्वविद्यालयों को पर्याप्त संकाय, अधोसंरचना, ग्रन्थालय, भाषा-प्रयोगशालाएँ,

मनोवैज्ञानिक परामर्श, डिजिटल स्टूडियो और विद्यालय नेटवर्क चाहिए। अनेक राज्यों में संसाधनों का क्षैतिज-वितरण असमान है।

दूसरी चुनौती मान्यता और प्रत्यायन की है। न्यूनतम मानकों से आगे बढ़कर परिणाम-आधारित मान्यता के लिए संस्थानों को डेटा-संग्रह, सीख-परिणामों का मानकीकरण, विद्यालय-प्रतिक्रिया, छात्र-प्रगति ट्रैकिंग और रोजगार/सेवा-नियुक्ति परिणामों का पारदर्शी प्रकाशन करना होगा।

तीसरी चुनौती बहुभाषिक संसाधनों की उपलब्धता की है। प्रशिक्षण-सामग्री, सन्दर्भ-पुस्तकें, मुक्त संसाधन, केस-अध्ययन और आकलन-उपकरण मातृभाषाओं में पर्याप्त मात्रा में विकसित करना होगा। भाषा-शक्ति के बिना मातृभाषा-आधारित अध्यापन का आदर्श आंशिक रह जाएगा।

चौथी चुनौती विद्यालय-संलग्न अभ्यास के मानकीकरण की है। यदि अभ्यास-विद्यालयों का चयन केवल सुविधानुसार हुआ, तो विविध सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक सन्दर्भों में प्रशिक्षणार्थियों का अनुभव सीमित रह जाएगा। यह आवश्यक है कि शहरी-ग्रामीण, सरकारी-आश्रम-निजी, भौगोलिक रूप से विविध विद्यालयों का संतुलित पोर्टफोलियो तैयार हो।

पाँचवीं चुनौती डिजिटल समता और नैतिकता की है। तकनीक-आधारित प्रशिक्षण में उपकरण-असमानता, कनेक्टिविटी, डेटा-गोपनीयता और स्क्रीन-सम्बन्धी स्वास्थ्य-प्रश्नों पर स्पष्ट नीतियाँ और समर्थन-प्रणालियाँ चाहिए।

छठी चुनौती संकाय-विकास की है। अध्यापक-प्रशिक्षक स्वयं बहुभाषिक, समावेशी और तकनीक-संवेदी शिक्षण के लिए तैयार हों इसके लिए सतत व्यावसायिक विकास, शोध-अवसर और विद्यालय-साझेदारी अनिवार्य हैं। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २०१४; यूनेस्को, २०१५)

नीति-निहितार्थ एवं सुझाव

प्रथम, चरणबद्ध प्रवर्तन रणनीति आवश्यक है। चार-वर्षीय समेकित कार्यक्रमों को चरणों में लागू करते हुए समानान्तर सेतु-प्रोग्राम, पूर्व-प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए उन्नयन पाठ्यक्रम और संक्रमण-समर्थन की स्पष्ट योजना बननी चाहिए।

द्वितीय, विश्वविद्यालय-विद्यालय साझेदारी को औपचारिक ढाँचा दिया जाए। सहमति-पत्र, साझा अनुसंधान, अभ्यास-विद्यालय मानक, सह-नियुक्तियाँ और संसाधन-वितरण की व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि अभ्यासकाल अर्थपूर्ण बने।

तृतीय, बहुभाषिक सामग्री-निर्माण का राष्ट्रीय अभियान आरम्भ किया जाए। पाठ्य-सामग्री, आकलन-उपकरण, केस-अध्ययन, ओपन संसाधन तथा डिजिटल सामग्री का अनुवाद, रूपान्तर और मौलिक सृजन मातृभाषाओं में किया जाए।

चतुर्थ, समावेशी शिक्षाशास्त्र के लिए संस्थागत समर्थन-प्रणालियाँ सुदृढ़ हों; परामर्श, सहायक तकनीक, अभिगम्यता और लचीले मूल्यांकन का ढाँचा मान्यता-मानकों का अनिवार्य अंग बने।

पंचम, प्रत्यायन को सीख-सुधार से जोड़ा जाए। संस्थान अपने स्व-मूल्यांकन और बाह्य समीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों को समयबद्ध कार्य-योजना में परिवर्तित करें; प्रत्येक वर्ष प्रगति-रिपोर्ट सार्वजनिक हो।

षष्ठ, संकाय-विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक-प्रशिक्षक विकास केन्द्रों का नेटवर्क बने, जो बहुभाषिकता, समावेशी शिक्षाशास्त्र, तकनीक और अनुसंधान-पद्धति पर उन्नत पाठ्यक्रम चलाएँ।

सप्तम, डिजिटल समता हेतु उपकरण-सहायता, सामुदायिक डिजिटल केन्द्र, ऑफ़लाइन विकल्प तथा मुक्त संसाधनों की विश्वसनीयता-परख प्रणाली विकसित की जाए।

अन्ततः, नीति-आधारित निर्णयों के लिए सुदृढ़ निगरानी और अनुसरण-उपनियम तैयार किए जाएँ। सूचकांक प्रवेश-विविधता, अभ्यासकाल की गुणवत्ता, संकाय-विकास, विद्यालय-प्रतिक्रिया, स्नातक-नियुक्ति को सार्वजनिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे उत्तरदायित्व और निरन्तर सुधार की संस्कृति बने। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, २०१९; राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, २०१४)

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० भारत की शिक्षा-व्यवस्था को नई दिशा देती है, जिसमें अध्यापक शिक्षा का स्थान केन्द्रीय है। नीति ने अध्यापक की भूमिका को अवसरवादी नौकरी भरने वाले से हटाकर नैतिक, समालोचनात्मक और नवाचारोन्मुख बुद्धिजीवी के रूप में स्थापित किया है। चार-वर्षीय समेकित कार्यक्रमों, बहुविषयी विश्वविद्यालयी समेकन, दीर्घकालीन विद्यालय-संलग्न अभ्यास, बहुभाषिकता, भारतीय ज्ञान-परम्परा, समावेशी शिक्षाशास्त्र और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विवेकपूर्ण उपयोग ने अध्यापक शिक्षा को संरचनात्मक व शैक्षणिक रूप से पुनर्परिभाषित किया है।

फिर भी क्रियान्वयन की चुनौतियाँ संस्थागत क्षमता, संसाधन-वितरण, मान्यता-प्रणाली, संकाय-विकास, बहुभाषिक सामग्री, डिजिटल समता और क्षेत्रीय विविधताएँ गम्भीर हैं। इसके समाधान हेतु चरणबद्ध प्रवर्तन, विश्वविद्यालय-विद्यालय साझेदारी, बहुभाषिक संसाधन-निर्माण, समावेशी समर्थन-प्रणालियाँ, परिणाम-आधारित प्रत्यायन और पारदर्शी निगरानी आवश्यक हैं। इन प्रयत्नों से अध्यापक शिक्षा भारतीय समाज की बहुलता, न्याय और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप नई गुणवत्ता-मानक स्थापित कर सकेगी। इस प्रकार, नीति का प्रभाव केवल संस्थागत रूपान्तरण नहीं, बल्कि अध्यापन

की संस्कृति, अध्यापकों की व्यावसायिक पहचान और ज्ञान-निर्माण की भारतीय परिकल्पना का पुनर्जागरण है। (शिक्षा मंत्रालय, २०२०; एनसीईआरटी, २०२३; यूनेस्को, २०१५)

सन्दर्भ

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (२०२०)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, २०२०*। नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। (२००९)। *राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। (२०१४)। *शिक्षक शिक्षा के मानदण्ड एवं प्रक्रिया विनियम, २०१४*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद।

एनसीईआरटी। (२००५)। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, २००५*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

एनसीईआरटी। (२०२३)। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, २०२३ (विद्यालय शिक्षा)*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। (२०१९)। *सीख परिणाम आधारित स्नातक पाठ्यचर्या रूपरेखा*। नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

भारत सरकार। (२००९)। *बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९*। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।

यूनेस्को। (२०१५)। *इंचियोन घोषणा और शिक्षा २०३० के लिए कार्यान्वयन ढाँचा*। पेरिस: यूनेस्को।

ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समिति प्रतिवेदन। (२०१९)। *शिक्षा के लिए समग्र दृष्टि: मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति*। नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें। (विविध वर्ष)। *शिक्षक शिक्षा संस्थानों हेतु पाठ्यचर्या तथा अभ्यास-विद्यालय मार्गदर्शिका*। विभिन्न राज्य प्रकाशन।

उच्चतर शिक्षा विभाग। (विविध वर्ष)। *शिक्षक शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन एवं गुणवत्ता-आश्वासन से सम्बद्ध दिशा-निर्देश*। नई दिल्ली: सम्बद्ध विभागीय प्रकाशन।

